न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 25/2020
जीसीएमएस : 2020/00233

1. मेजर सिंह पुत्र जलोर सिंह जाति जटसिख निवासी 31 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थी

उपस्थिति :–
1. श्री सतपाल बिश्नोई, वकील प्रार्थी

अन्तर्गत धारा 125, 136 एलआर.एक्ट 209 आरटी.एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 85 एलएनपी के खाता सं. 108/48 मु.नं. 3 प.नं.
117/293 के कि.नं. 1/1 ता 25/1 में कुल 5.945है. बारानी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड
हैं। पूर्व में रकबा चक 31 एमएल मु.नं. 31 प.नं. 117/293 में दर्ज था। लेकिन चकबंदी
में 85 एलएनपी में आ गया। व मु.नं. 3 हो गया। जब रकबा 31 एमएल से 85 एलएनपी
में आया तब रकबा नहरी के बजाय बारानी दर्ज हो गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर
जमाबंदी चक 85 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 108/48 में दर्ज मु.नं. 3
प.नं. 117/293 के कि.नं. 1/1 ता 25/1 की कुल 5.945है. बारानी खातेदारी भूमि से
नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के दुरूस्ती आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं
तहसीलदार रायसिंहनगर को जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./21/1693 दिनांक 15.09.
2021 के द्वारा पटवारी रिपोर्ट एवं गिरदावरी, सीसीए रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट
"अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर की सीसीए रिपोर्ट में चक 85
एलएनपी प.नं. 117/291 में 21 बीघा 11 बिस्वा कमाण्ड व 2 बीघा 16 बिस्वा अनकमाण्ड
तस्दीक दी गई हैं। रिपोर्ट के संलग्न रिपोर्ट पटवारी अनुसार मु.नं. 3 का रकबा 5.945है.
बारानी रिकार्ड दर्ज हैं। मौके पर गिरदावरी सिंचित की की जाती हैं।"

टीआरए तहसील रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.06.2022 के अनुसार
"जमाबंदी संवत 1945–46 चक 31 एमएल के मु.नं. 39 के कि.नं. 1 ता 25 की 23–08
बीघा भूमि अवतार सिह वगै. के नाम से मौरूसी दर्ज हैं। नवीनतम जमाबंदी [illegible]
के अनुसार चक 85 एलएनपी के मु.नं. 3 की 23–10 बीघा भूमि मेजर सिंह [illegible]
सिंह के नाम से खातदेार दर्ज हैं। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार [illegible] चक 85 [illegible]
पुराना मु.नं. 39 तथा नया मु.नं. 3 हैं। मुताबिक सीसीए रिपोर्ट के [illegible]
नं. 117/293 की 21–11 बीघा भूमि अनकमाण्ड से कमाण्ड हो चुकी है। रिपोर्ट [illegible]
जल उपभोक्ता 35 एमएल के अनुसार कि.नं. 1 ता 23 की 21–11 बीघा भूमि कम[illegible] हैं।
चूंकि रकबा मौरूसी भूमि की श्रेणी का हैं इसलिए अन्तरराशि देय नहीं है तथा मु.नं. 3 के
कि.नं. 1, 2 ता 20, 21, 22 तथा कि.नं. 23 की 0.114है. भूमि अनकमाण्ड से कमाण्ड की
जानी उचित हैं।"

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि
चकबंदी के दौरान रकबा 31 एमएल से 85 एलएनपी में स्थानान्तरित करते समय त्रुटिवश

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.07.05 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

भूमि नहरी के स्थान के पर बारानी दर्ज हो गयी हैं, जबकि भूमि सिंचित श्रेणी की हैं। अतः दुरूस्ती आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर, टीआरए तहसील रायसिंहनगर के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर चक 85 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 108/48 में दर्ज मु.नं. 3 प.नं. 117/293 के कि.नं. 1/1 ता 25/1 की कुल 5.945है. बारानी भूमि में से मु.नं. 3 के कि.नं. 1, 2 ता 20, 21, 22 तथा कि.नं. 23 की 0.114है. भूमि अनकमाण्ड से कमाण्ड दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.07.05 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर